मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन–462 004

क्रमांक एफ 24–6/2015/1–10 भोपाल, दिनांक 22/12/2015

प्रति,

माननीय न्यायमूर्ति श्री आर्येन्द्र कुमार सक्सेना,
पेटलावद विस्फोट जांच आयोग,
इन्दौर (म.प्र.)।

विषयः–दिनांक 12/09/2015 को पेटलावद जिला–झाबुआ में विस्फोट की घटना की जांच हेतु गठित जांच आयोग के अध्यक्ष की सेवा शर्ते जारी किये जाने बावत्।

–00–

कस्बा पेटलावद,तहसील पेटलावद ,जिला झाबुआ में नया बस स्टेंड थांदला रोड पर स्थित भवन में दिनांक 12/09/2015 को प्रातः लगभग 8.20 बजे विस्फोट हुआ, जिसमें 84 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा अनेक व्यक्ति घायल हुए। घटना की जांच हेतु विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 24–5/2015/1–10 दिनांक 15/09/2015 द्वारा एकल सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया है। उक्त आयोग में न्यायमूर्ति श्री आर्येन्द्र कुमार सक्सैना, सेवानिवृत्त न्यायाधीश उच्च न्यायालय की एकल सदस्य के रूप में नियुक्ति की गई है। नियुक्ति की सेवा–शर्ते निम्नानुसार है :–

1. माननीय न्यायमूर्ति श्री आर्येन्द्र कुमार सक्सैना, सेवानिवृत्त न्यायाधीश को प्रतिमाह मानदेय सेवानिवृत्ति पर प्राप्त अंतिम सकल वेतन –सकल पेंशन = मानदेय के आधार पर देय होगा।
2. भ्रमण के दौरान भी माननीय उच्च न्यायालय न्यायाधीश के समकक्ष यात्रा–भत्ता दिया जावेगा।
3. शासकीय वाहन अच्छी हालत में एम्बेसेडर कार अथवा समकक्ष उपलब्ध कराया जाएगा।
4. वाहन चालक की व्यवस्था कमिश्नर इन्दौर/पुलिस विभाग से की जावेगी।
5. मुख्यालय से बाहर की गई यात्रा में हुये फ्यूल (पेट्रोल) का जो व्यय होगा, उसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वाहन सुविधा के साथ जो फ्यूल (पेट्रोल) सुविधा प्रदान की जाती है, वही सुविधा प्राप्त होगी।
6. आयोग हेतु इन्दौर स्थित आवास गृह की व्यवस्था कमिश्नर इन्दौर द्वारा आयोग की कार्यावधि तक के लिये की जावेगी।
7. शासकीय आवास न लेने पर विद्युत व जल व्यय सहित राशि रूपये 25,000/–(रूपये पच्चीस हजार मात्र) मासिक किराया से कम है तब भुगतान की जा रही राशि से प्रतिपूर्ति सीमित होगी।
8. दूरभाष एवं मोबाईल पर होने वाला व्यय राज्य में सचिव स्तर के अधिकारी की पत्रता से सीमित होगा।

2/ आयोग के एकल सदस्य (माननीय न्यायमूर्ति श्री आर्येन्द्र कुमार सक्सैना) को देय सुविधाओं पर होने वाले व्यय का भुगतान आयोग के लिये आवंटित बजट राशि से किया जावेगा। 7

3/ आयोग के एकल सदस्य (माननीय न्यायमूर्ति श्री आर्येन्द्र कुमार सक्सैना) द्वारा आयोग में पदभार ग्रहण करने की तिथि से ये सेवा–शर्तें प्रभावशील होंगी।

4/ इस संबंध में वित्त विभाग के जावक कमांक 1753/1993/वित्त/नियम/चार, दिनांक 07/11/2015 सहमति प्रदान की गई है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.एन. चौहान)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. कमांक एफ 24– 6/2015/1–10 भोपाल, दिनांक 22/12/2015

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग (बजट–8/नियम–4), भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, म.प्र. भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, गृह विभाग, भोपाल।
5. सचिव, (समन्वय) मुख्य सचिव, कार्यालय, म0प्र0 भोपाल।
6. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर।
7. महालेखाकार, म0प्र0 भोपाल।
8. कमिश्नर इन्दौर संभाग, इन्दौर की ओर भेजकर लेख है कि सेवा शर्तो के अनुसार माननीय न्यायमूर्ति श्री आर्येन्द्र कुमार सक्सैना को देय सुविधाओं के संबंध में शीघ्र कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही आयोग के कार्यालय हेतु भवन/कार्यालय के लिये आवश्यक फर्नीचर/स्टेशनरी एवं अन्य सामग्री की व्यवस्था कर इस विभाग को सूचित करने का कष्ट करें।
9. कलेक्टर, जिला–इन्दौर/झाबुआ।
10. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, इन्दौर।
11. स्टॉक फाइल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग